संख्या-22/2020/457/12-5-2020-ब0-3/2018

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उ0 प्र0, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः: दिनांक 15 मई, 2020**

विषयः- इन्ट्रीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनामिक एण्ड स्टैटिस्टिक्स योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, कृषि सांख्यिकी, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-एस-कैम्प-22/लेखा/वित्तीय स्वीकृति/2020-21, दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू.1577.19 लाख के सापेक्ष इन्ट्रीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनामिक एण्ड स्टैटिस्टिक्स योजना के अन्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार 01 माह हेतु धनराशि रू.114.77 (एक करोड़ चौदह लाख सतहत्तर हजार) मात्र आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रू0 में)

लेखाशीर्षक/योजना का नाम	**वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधान**	**स्वीकृत धनराशि**
2401-फसल कृषि कर्म 111-कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं		
0103-इन्ट्रीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनामिक एण्ड स्टैटिस्टिक्स	1577.19	114.77
योग	1577.19	114.77

(रूपये एक करोड़ चौदह लाख सतहत्तर हजार मात्र)

2. यह धनराशि मात्र वेतन, भत्ते एवं आवश्यक अधिष्ठान मदों पर ही व्यय की जाय। कृषि निदेशक, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगें कि वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-03-2020 तथा शासनादेश दिनांक 07-04-2020 एवं 11-04-2020 के निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

3. कृषि निदेशक, उ0प्र0 भारत सरकार से योजनान्तर्गत धनराशि प्राप्त करने हेतु प्राथमिकता पर कार्यवाही करेंगें। उक्त धनराशि प्राप्त होने पर प्राथमिकता पर समायोजन की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। प्रश्नगत प्रस्ताव पर सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है की योजनान्तर्गत भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होना सुनिश्चित है।

4. स्वीकृत धनराशि आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार की गाइडलाइन/दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

6. योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर त्रैमासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति सहित शासन/भारत सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06-06-1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबन्धन एंव शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टेण्टईस ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चत किया जायेगा।

8. वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी.सी.-11, दिनांक 29-05-2012 द्वारा समस्त भुगतान एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये है। अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाय।

9. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 111-कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0103-इन्ट्रीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनामिक एण्ड स्टैटिस्टिक्स के अन्तर्गत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

10. यह वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-1-375/दस-2020 में प्रदत्त उनकी सहमति के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

संख्या-22/2020/457(1)/12-5-2020-ब0-3/2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार (आडिट/सिविल) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. अवर सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
7. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
10. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि भवन, लखनऊ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।